कार्यालय नगर पालिक निगम उज्जैन
(Municipal Corporation Ujjian)

छत्रपति शिवाजी भवन
आगर रोड़, उज्जैन
टेली. 0734 2535214
ई–मेल:nn.ujjain@mpurban.gov.in

क्रमांक : साप्रवि / 2022 / 122

उज्जैन दिनांक 11 / 03 / 2022

आदेश

नगरीय विकास एवं आवास विभाग, मंत्रालय भोपाल के पत्र क्रमांक / 74 / 1461 / 2021 / 18–1, भोपाल दिनांक 07 जनवरी 2022 अनुसार राज्य स्तर पर वर्ष में एक दिन प्रत्येक नगर / शहर के लिये "नगर गौरव दिवस" (City Day)" के रूप में नामांकित किये जाने के निर्णय के अनुक्रम में उज्जैन नगर अंतर्गत स्थानीय स्तर पर प्रबुद्व नागरिकों / प्रमुख संगठनों की समय–समय पर बैठक आहूत कर उनसे विचार विमर्श किया जाकर सर्वानुमति से गुड़ी पड़वा पर्व को "नगर गौरव दिवस" (City Day)" के रूप में मनाये जाने की सहमति प्राप्त हुई है, तद्क्रम में मान. प्रशासक, नगर पालिक निगम उज्जैन द्वारा पारित संकल्प क्रमांक 11 दिनांक 17.02.2022 से प्रतिवर्ष गुड़ी पड़वा को "नगर गौरव दिवस" (City Day)" के रूप में मनाये जाने हेतु प्रस्ताव स्वीकृत किया जाकर माननीय प्रभारी मंत्री महोदय, जिला उज्जैन द्वारा अनुमोदन किया गया है। अतः आगामी गुड़ी पड़वा पर्व दिनांक 01 अप्रैल 2022 को नगर गौरव दिवस के आयोजन हेतु संलग्न शासन निर्देशानुसार विभिन्न गतिविधियां आयोजित किये जाने के क्रम में निम्नानुसार समिति का गठन किया जाता है :–

अधिकारी / कर्मचारी का नाम	सौंपा गया दायित्व
श्री मनोज पाठक, अपर आयुक्त	समिति अध्यक्ष
श्री संजेश गुप्ता, उपायुक्त	सदस्य
श्री तेजकरण गुनावदिया, प्र. उपायुक्त	सदस्य सचिव
श्रीमती नीता जैन, प्र. उपायुक्त	सदस्य
श्री सुबोध जैन, सहायक आयुक्त	सदस्य
श्री जी.के. कठिल, प्र. अधीक्षण यंत्री	सदस्य
श्री पीयूष भार्गव, प्र.कार्यपालन यंत्री	सदस्य
श्री सुनील जैन, प्र.जनसंपर्क अधि.	सदस्य
श्रीमती विधुरानी कौरव, प्र. सहायक यंत्री (उद्यान)	सदस्य
श्री मुकुल मेश्राम, उपयंत्री	सदस्य
श्री पवन लोधे, सहा. राजस्व निरीक्षक	सदस्य
श्री सरदार सिंह सौलंकी, प्र. आई.टी. सेल	सदस्य

उपरोक्तानुसार गठित समिति को शासन निर्देशानुसार विभिन्न गतिविधियां आयोजित किये जाने हेतु आदेशित किया जाता है।

उक्त आदेश तत्काल प्रभावशील होगा ।

आयुक्त
नगर पालिक निगम उज्जैन

पृ. क्रमांक : साप्रवि / 2022 / ....
उज्जैन दिनांक ..../ 03 / 2022

प्रतिलिपि–

1. संभागायुक्त एवं प्रशासक, नगर पालिक निगम उज्जैन की ओर सूचनार्थ।
2. कलेक्टर, जिला उज्जैन की ओर सूचनार्थ।
3. संयुक्त संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास उज्जैन संभाग उज्जैन की ओर सूचनार्थ।
4. संबंधित अधिकारी / कर्मचारी गण (नाम से) नगर पालिक निगम उज्जैन की ओर पालनार्थ।

–sd–
आयुक्त
नगर पालिक निगम उज्जैन

Scanned by CamScanner

मध्यप्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं आवास विभाग
मंत्रालय,भोपाल

क्रमांक 74/1461/2021/18-2
प्रति,

भोपाल, दिनांक 07 जनवरी 2022

1. आयुक्त
नगर पालिका निगम(समस्त)
मध्यप्रदेश.

2. मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर पालिका / नगर परिषद(समस्त)
मध्यप्रदेश.

विषयः– नगरीय निकायों में "नगर गौरव दिवस (City Day)" निर्धारित कर आयोजन करने के संबंध में ।

--

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि राज्य का प्रत्येक नगर अपनी एक विशिष्ट पहचान रखता है। स्थानीय नागरिकों में आत्म गौरव की भावना को निर्मित करने तथा शहर से लगाव बढ़ाने के लिये स्थानीय जानकारी होना अनिवार्य है। जिससे पीढ़ी दर पीढ़ी सांस्कृतिक विरासत का हस्तांतरण हो सके। इस हेतु राज्य स्तर पर वर्ष में एक दिन उस शहर के लिये "नगर गौरव दिवस" के रूप मे नामांकित करने का निर्णय लिया गया है।

1. **उद्देश्यः–**

1.1 नगर के प्रति आत्म गौरव के भाव का विकास करना।

1.2 शहरी अधोसंरचना, विकास आवश्यकताओ और पर्यावरण के प्रति नागरिकों मे जागरूकता का भाव विकसित करना ।

1.3 शहर के सांस्कृतिक और पारंपरिक गौरव के प्रति आमजन को जागरूक करना ।

1.4 सांस्कृतिक विरासत एवं स्थानीय लोकाचार के प्रति जन सामान्य को जागरूक करना।

1.5 शहर के विकास,स्वच्छता,नागरिक सुविधाओं और जीवन स्तर को बेहतर बनाने में नागरिकों की भागीदारी व भूमि का विस्तार करना ।

1.6 नागरिकों में सद्भाव, सहजता और परस्पर सहयोग की भावना का विकास करना।

1.7 शहरी विकास में नागरिकों की भागीदारी सुनिश्चित करना।

2. **नगर गौरव दिवस के चयन का आधारः**–स्थानीय स्तर पर किसी भी एक दिन को नगर गौरव दिवस (City Day) के रूप में नामांकित किया जा सकता है। दिवस विशेष से भावनात्मक लगाव निर्मित कर स्थानीय सहयोग सरलता से प्राप्त किया जा सकता है। इस हेतु निम्न उदाहरणदर्शक बिन्दुओं के आधार पर दिवस का चयन किया जा सकता है:–

2.1 नगर का स्थापना दिवस

2.2 स्थानीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का जन्म दिवस

2.3 ऐतिहासिक सांस्कृतिक विरासत या स्थापत्य के आधार पर दिवस का चयन

2.4 स्थानीय शहीद की जन्मतिथि / पुण्यतिथि

Scanned by CamScanner
Scanned by CamScanner

3. चयन की प्रक्रियाः—उपरोक्त उदाहरणदर्शक बिन्दुओं में से किसी एक आधार या अन्य सर्वमान्य आधार पर स्थानीय नगर गौरव दिवस (City Day) का चयन किया जाये। इसे स्थानीय नागरिकों के बीच में विचार विमर्श कर अंतिम रूप दिया जाये। चयनित दिवस पर विधिवत परिषद का संकल्प पारित कर प्रशासक एवं जिले के प्रभारी मंत्री जी से अनुमोदन उपरांत स्थानीय स्तर पर सार्वजनिक घोषणा की जाये।

4. आयोजनः—स्थानीय नगर गौरव दिवस के अवसर पर निम्नलिखित गतिविधियाँ आयोजित की जा सकती है –

4.1 स्थानीय इतिहास एवं अन्य जानकारियों से जन सामान्य को अवगत कराने हेतु विचार गोष्ठी का आयोजन.

4.2 स्थानीय पाठशालाओं में नगर से जुड़े हुए विषयों पर क्विज, वादविवाद प्रतियोगितायें, भाषण आदि स्पर्धा का आयोजन

4.3 स्थानीय समाचार पत्रों में नगरीय विकास को रेखांकित करने की प्रेस विज्ञप्ति का प्रकाशन (विज्ञापन को छोड़कर)

4.4 रैली / स्वच्छता श्रमदान / वृक्षारोपण आदि गतिविधियों का आयोजन.

4.5 साहित्यिक गोष्ठी एवं स्थानीय कलाकारों का सम्मान.

4.6 स्थानीय फूड फेस्टिवल का आयोजन एवं अन्य कार्यक्रम.

4.7 कार्यक्रम की गरिमा अनुरूप अन्य गतिविधि.

उपरोक्तानुसार कृपया स्थानीय स्तर पर नगर गौरव दिवस का नामांकन कर आवश्यक गतिविधियाँ संचालित करने का कष्ट करें।

(मनीष सिंह)
प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं आवास विभाग
भोपाल, दिनांक 07 जनवरी 2022

पृ०क्र 75 / 146 / 2021 / 18-1
प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास, म.प्र.भोपाल।
2. संभागीय आयुक्त, (समस्त), म.प्र.।
3. जिला कलेक्टर (समस्त) म.प्र.।
4. संभागीय संयुक्त संचालक(समस्त), नगरीय प्रशासन एवं विकास, म.प्र.।

उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं आवास विभाग

Scanned by CamScanner
Scanned by CamScanner